यू. पी. राज्य

बनाम

राजाराम एवं अन्य

20 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायाधिपति]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860-धारा 302 सपठित धारा 34 - छह अभियुक्तों द्वारा हमला - एक अभियुक्त के उकसाने पर दूसरे अभियुक्त द्वारा पीडित पर हमला किया - धारा 302 सपठित धारा 147, 148 एवं 149 में दोषसिद्घी - उच्च् न्यायालय ने तीन अभियुक्तों की दोषसिद्घी को धारा 302 सपठित धारा 34 में परिवर्तित एवं अन्य तीन को दोषमुक्त किया -दोषमुक्ति को चुनौती दी गयी- अभिनिर्धारित-अभियोजन का मामला तीन अभियुक्तों के विरूद्घ संदेह मुक्त नहीं होने से उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित है एवं इन अभियोजन के संबंध में साक्षियो का साक्ष्य इन अभियुक्तो के संबंध में विश्वसनीय नहीं था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दिन वाई सी को मैदान में प्रत्यर्थियों ने घेर लिया। वाई.सी., आर.आर. और आर.एन. भाले से लैस थे और अन्य लाठीयों से लैस थे। अभियुक्त आर.पी. के उकसाने पर आर.आर. और आर.एन. ने वाई.पी. पर भाले से हमला किया और अन्य लोगों ने

वाई.पी. पर हथियारों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित ने शोर मचाया और पीडब्लू 1, 2 और 3 घटना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद आरोपीगण भाग गए। एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अनुसंधान किया गया। प्रत्यर्थियों को धारा 302 सपठित धारा 149, 148 एवं 147 के तहत दोषी ठहराया गया था। प्रत्यर्थियों ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 4 से 6 प्रत्यर्थियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। हालाँकि, आर.आर., आर.एन. और आर.पी. की दोषसिद्धि को आई.पी.सी. की धारा 302 सपठित धारा 34 में बदल दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. उच्च न्यायालय ने अंकित किया है कि डी, सी.एल. के विरूद्घ अभियोजन का मामला संदेह मुक्त नहीं है। इनका लाठियों से लेस होना आरोपित किया गया था। एफ.आई.आर. में यह स्पष्ट कथन था कि इन प्रत्यर्थियों ने भी मृतक पर लाठियों से हमला किया था। पीडब्लू-1 ने अपने बयानों में यह भी कहा कि लाठी से लेस सभी हमलावर मृतक को लगातार लाठियों से मार रहे थे। हालांकि, पीडब्लू 2 और 3 ने अपने बयान में सुधार करते हुए केवल आर.पी. प्रत्यर्थियों ने मृतक के सिर पर लाठी मारी, लेकिन दोषमुक्त किए गए तीन लोगों ने गवाहों को वहां से दूर करने के लिए अपनी लाठियों को सिर्फ लहराया।

ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि मृतक को केवल एक कुंद वस्तु की चोट लगी थी, जिसका जिम्मेदार विशेष रूप से केवल आर.पी. को ठहराया जाता है, इसलिए अभियोजक ने पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य के माध्यम से मामले को विकसित करने में संकोच नहीं किया कि इन प्रत्यर्थियों ने मृतक पर कोई लाठी नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने केवल लाठियां लहराकर गवाहों को धमकी दी। एफ़.आई.आर. या अनुसंधान के स्तर पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं रखा गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने डी, सी.एल. और एस को संदेह का लाभ दिया और उन्हें आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया। [पैरा 8][1088-ई, एफ, जी, एच]

1.2. उच्च न्यायालय के तर्क में कोई दुर्बलता नहीं है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि पीडब्लू 2 और 3 ने अंवेक्षण के दौरान जो कहा है, उससे भिन्न मामला पेश करने की कोशिश की। उनके कथनों को चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए बदल दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि जहां तक साक्ष्य का संबंध है, वह ठोस नहीं हैं। [पैरा 9] [1089-ए, बी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या. 1362/2002

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 838/1985 में निर्णय और आदेश दिनांक 23.2.2001 के विरूद्घ अपील)

अपीलार्थी की ओर से सहदेव सिंह और मोहम्मद फ़ुज़ैल ख़ान (अनुव्रत शर्मा के लिए)

प्रत्यर्थी की ओर से के. शारदा देवी

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत के द्वारा दिया गया।

यू.पी. राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के निर्णय, जिसमें वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 04 से 06 को दोषमुक्त किया गया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 राजाराम, रामनाथ एवं रामप्रसाद की दाेषसिद्घि को धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित करते हुए बरकरार रखा गया, के विरूद्घ अपील की है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्घि को अपास्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 04 से 06 देवेन्द्र, छोटेलाल व सुभाष की दोषसिद्घि को रद्द कर दिया।

2. प्रत्यर्थियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149, 148 एवं 147 से दण्डनीय अपराधों की अंवीक्षा भुगती गयी। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालिया द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को

दाेषी पाया गया और प्रत्येक को तीन अपराधों के संबंध में क्रमशः आजीवन कारावास और एक वर्ष की सजा सुनाई गई।

3. संक्षेप में अभियोजन प्रकरण इस प्रकार हैः

दिनांक 10-04-1984 को यदूनाथ चौहान (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) अपने गाँव बांकट से गाँव जिगरसार किसी काम से जा रहा था। जब वह सरकारी नलकूप और बालचंद के खेत के पास था, तो सभी प्रत्यर्थियों ने उसे घेर लिया। समय सुबह लगभग साढ़े छह बजे का था। प्रत्यर्थी राजाराम और रामनाथ के पास भाला था, जबकि अन्य सभी के पास लाठियाँ थीं। अभियुक्त रामप्रसाद के उकसाने पर, प्रत्यर्थी राजाराम और रामनाथ ने यदुनाथ पर भाले से व अन्य प्रत्यर्थियों ने लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर, उसके बेटे बब्बन चौहान (पीडब्लू-1), रामलाल, रूपनारायण (पीडब्लू-2), कमलनाथ और अन्य लोग घटनास्थल की ओर आये। गवाहों के आने से बढ़े दबाव को देखकर अभियुक्तगण अपने-अपने हथियारों के साथ भाग गए।

मृतक के पुत्र बब्बा चौहान (पीडब्लू-1) ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श. के.ए. 1) लिखा और पीड़ित यदुनथ के साथ पी.एस. खेजुरी ले गया, जहाँ एफ. आई. आर. दर्ज की गयी और अनुसंधान प्रारम्भ हुआ।

अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा गलत फंसाये जाने के अभिकथन किये गये एवं

प्रतिरक्षा में एक गवाह डी. डब्ल्यू.-1 को परीक्षित करवाया और यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजों का प्रदर्शित किया कि शिकायतकर्ता उनके प्रति शत्रुतापूर्ण था।

4. अभिलेख पर साक्ष्य के विश्लेषण से विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए समय और स्थान पर हुई थी और पीडब्लू 1, 2 और 3 द्वारा इसकी गवाही दी गई थी और उनका साक्ष्य विश्वसनीय था। प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्रता से दर्ज की गई थी और बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा कि मृतक की मृत्यु प्रातःकाल अंधेरे में हुई थी, स्वीकार्य नहीं था। इन निष्कर्षों के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्ति-युक्त संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा है।

5. अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विश्लेषण से जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अभियोजन का संबंध हैं, वह सारभूत रूप से स्थापित है। घटना में उनकी भागीदारी संदेह से परे साबित हुई। रामनाथ और राजाराम दोनों ने मृतक पर भाले से हमला किया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दो छिद्रित भेदक घाव पाए गए, इसके अलावा पाँच अन्य छिद्रित चोटें थीं। रामप्रसाद के संबंध में, यह अंकित किया गया

कि सभी गवाहों ने कहा कि उसने मृतक के सिर पर लाठी से हमला किया।

6. प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के मामले में यह पाया गया कि अभियोजन संदेह से मुक्त नहीं था। उन पर लाठी से लैस होने का आरोप था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक स्पष्ट कथन था कि इन अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर लाठियों से हमला किया था, बब्बन चौहान (पीडब्लू 1) ने भी इस बारे में बताया था। लेकिन पीडब्लू संख्या 2 व 3 ने विपरीत कथन करते हुए कहा कि केवल आरोपी रामप्रसाद ने मृतक के सिर पर लाठी चलाई, लेकिन अन्य ने गवाहों को डराने के लिए अपनी लाठियां लहरायी। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह उनके बयान को चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए एक सुधार था। यह भी पाया गया कि चूंकि कुंद हथियार से एक चोट थी इसलिए पूर्व के कथनों के स्थान पर उक्त कथन पेश किये गये थे। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 से संबंधित दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया गया था। उन्हें आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। हालाँकि, राजाराम, रामनाथ और रामप्रसाद की दोषसिद्धि को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में बदल दिया गया था।

7. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया गया है, उच्च

न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था।

8. हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अंकित किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला देवेंद्र, छोटेलाल और सुभाष के विरूद्घ संदेह से मुक्त नहीं हैं। उन पर लाठी से लैस होने का आरोप था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक स्पष्ट बयान था कि इन प्रत्यर्थियों ने मृतक पर लाठी से हमला भी किया था। बब्बन चौहान (पीडब्लू-1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा कि लाठी के लेस भी हमलावर मृतक को लगातार लाठियों से मार रहे थे। हालाँकि, पीडब्लू 2 व 3 ने अपने बयानों में सुधार किया और इस मामले को विकसित किया कि केवल रामप्रसाद, प्रत्यर्थी ने मृतक के सिर पर लाठी चलाई, लेकिन बरी किए गए तीन लोगों ने गवाहों को दूर करने के लिए अपनी लाठियाँ लहरायी। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि मृतक को केवल कुंद वस्तु की एक चोट लगी थी, जिसका विशेष रूप से उत्तरदायित्व केवल रामप्रसाद को दिया जाता है, इसलिए अभियोजक ने पीडब्लू 2 व 3 के साक्ष्य के माध्यम से मामले को विकसित करने में संकोच नहीं किया कि इन प्रत्यर्थियों ने मृतक पर कोई लाठी नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने केवल लाठियां लहराकर गवाहों को धमकी दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट या अनुसंधान के स्तर पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं रखा गया

था। इसलिए उच्च न्यायालय ने देवेंद्र, छोटेलाल और सुभाष को संदेह का लाभ दिया और उन्हें आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया।

9. उच्च न्यायालय के तर्क में कोई दुर्बलता नहीं है, उच्च न्यायालय ने सही रूप में पाया कि पीडब्लू 2 व 3 के द्वारा अंवेक्षण के दौरान जो कुछ कहा गया, उससे संबंधित विवरण

चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए परिवर्तित किया गया था तथा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि उनकी हद तक साक्ष्य ठोस नहीं है।

10. हम इस निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अपील विफल होने से खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार जीनवाल, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।